भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4127

12 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

ih,e,okbZ&;w ds varxZr fufeZr ?kj

4127- Jherh vijkftrk lkjaxh%
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ ih,e,okbZ&;w ds izR;sd ?kVd ds rgr fufeZr vkoklksa dk jkT;&okj C;kSjk D;k gS(
¼[k½ ih,e,okbZ&;w ds izR;sd ?kVd ds rgr ykHkkfFkZ;ksa dks vkcafVr vkoklksa dk jkT;&okj C;kSjk D;k gS(
¼x½ bl ;kstuk ds rgr fufeZr [kkyh iM+s vkoklksa dk jkT;&okj C;kSjk D;k gS(
¼?k½ ih,e,okbZ&;w ds fn'kk&funsZ'kksa ds vuqlkj bldh lkekftd laijh{kk dk jkT;&okj C;kSjk D;k gS(vkSj
¼³¹½ D;k mDr lkekftd laijh{kk vc rd dj yh tkuh pkfg, Fkh vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के प्रत्येक संघटक के अंतर्गत निर्मित आवासों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरे अनुलग्नक -। में दिए गए हैं ।

(ख) : पीएमएवाई (यू) के प्रत्येक संघटक के अंतर्गत आबंटित /कब्जा लिए गए आवासों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक-।। में दिए गए हैं ।

(ग): पीएमएवाई-यू मिशन के अंतर्गत उन निर्मित आवासों के जहॉ कब्जा लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक -।।। पर दिए गए हैं।

(घ)और (ड.) : सामाजिक लेखा परीक्षा से लाभार्थियों एवं अन्य हितधारकों को मिशन की प्रक्रियाओं एवं प्रसुविधाओं की जांच करने का सुअवसर उपलब्ध होगा । इससे बेहतर कार्यान्वयन, जबाबदेही, पारदर्शिता एवं भागीदारी सुनिश्चित होती है ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सीएसएमसी के अनुमोदन से सामाजिक लेखा-परीक्षा हेतु 100% वित्तीय सहायता प्रदान करके मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा करने हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता प्रदान करता है । ऐसी सामाजिक लेखा परीक्षा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों इत्यादि जैसे तकनीकी संस्थानों एवं वास्तुशिल्पीय एवं डिजाइन संस्थानों सहित विश्वसनीय संस्थानों एवं ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों के माध्यम से कराई जाती है ।

दिशा निर्देशों की मुख्य प्रक्रियाओं में यह अधिदेश है कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी किसी स्वतंत्र सुविधा एजेंसी (आईएफए) की सेवाएं ले । यह सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए साधन तैयार कर सामाजिक लेखा-परीक्षा समिति का गठन कर उसे प्रशिक्षण प्रदान करती है और सामाजिक लेखा-परीक्षा का आयोजन करती है ।

अभी तक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल एवं मिजोरम जैसे पांच राज्यों ने सामाजिक लेखा-परीक्षा करवाई है और असम, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड नामक चार अन्य राज्यों ने सामाजिक लेखा परीक्षा करवाने के लिए स्वतंत्र सुविधा एजेंसी (आईएफए) को नियुक्त किया है । अन्य सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र स्वतंत्र सुविधा एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया में हैं ।

12.12.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4127 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं संघटक-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	"स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)	लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)	ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)^
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	17	3
2	आंध्र प्रदेश	13,741	1,82,546	99,940	17,622
3	अरुणाचल प्रदेश	320	-	1,319	6
4	असम	1,257	-	13,255	898
5	बिहार	24,326	-	28,316	5,733
6	चंडीगढ़	4,960	-	-	319
7	छत्तीसगढ़	12,356	6,728	34,962	10,744
8	दादरा और नगर हवेली	144	-	268	1,775
9	दमन और दीव	-	39	86	590
10	दिल्ली (एनसीआर)	23,980	-	-	16,300
11	गोवा	-	-	1	711
12	गुजरात	48,202	76,771	14,974	2,16,141
13	हरियाणा	2,466	-	1,430	14,881
14	हिमाचल प्रदेश	553	-	1,661	540
15	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	1,369	-	3,092	1,332
16	झारखंड	8,885	240	54,660	4,734
17	कर्नाटक	24,819	9,175	90,683	35,883
18	केरल	7,817	-	38,810	11,709
19	लद्दाख	62	-	219	61
20	लक्षद्वीप	-	-	-	-
21	मध्य प्रदेश	21,840	16,144	2,10,536	47,025
22	महाराष्ट्र	51,008	3,784	5,095	1,95,340
23	मणिपुर	780	-	2,254	172
24	मेघालय	664	-	286	118
25	मिजोरम	690	-	756	763
26	नागालैंड	3,415	-	408	26
27	ओडिशा	8,084	-	43,507	3,265
28	पुडुचेरी	504	-	1,614	478

29	पंजाब	3,331	-	2,833	12,222
30	राजस्थान	32,401	5,120	18	38,136
31	सिक्किम	202	-	20	21
32	तमिलनाडु	41,478	24,908	1,56,455	35,340
33	तेलंगाना	8,305	61,257	-	27,136
34	त्रिपुरा	835	-	37,343	602
35	उत्तर प्रदेश	31,324	116	2,97,977	52,728
36	उत्तराखंड	3,216	224	1,616	6,443
37	पश्चिम बंगाल	28,614	-	1,06,990	20,920
कुल:-		**4,11,948**	**3,87,052**	**12,51,401**	**8,10,067**

^पीएमएवाई (यू) की ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत वितरण के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को हाल में संस्वीकृत अतिरिक्त **29,350** लाभार्थियों सहित

12.12.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4127 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आबंटित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं संघटक-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	"स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)	लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)	ऋण संबद्ध **सब्सिडी** स्कीम (सीएलएसएस)^
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	17	3
2	आंध्र प्रदेश	37,050	5,510	99940	17,622
3	अरुणाचल प्रदेश	420	-	1319	6
4	असम	2,938	-	13255	898
5	बिहार	27,750	-	28316	5,733
6	चंडीगढ़	5,333	-	0	319
7	छत्तीसगढ़	18,473	1,248	34962	10,744
8	दादरा और नगर हवेली	144	-	268	1,775
9	दमन और दीव	-	-	86	590
10	दिल्ली (एनसीआर)	1,709	-	0	16,300
11	गोवा	-	-	1	711
12	गुजरात	76,356	11,703	14974	2,16,141
13	हरियाणा	2,686	-	1430	14,881
14	हिमाचल प्रदेश	503	-	1661	540
15	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	2,536	-	3092	1,332
16	झारखंड	9,079	-	54660	4,734
17	कर्नाटक	31,090	15	90683	35,883
18	केरल	8,472	-	38810	11,709
19	लद्दाख	62	-	219	61
20	लक्षद्वीप	-	-	0	-
21	मध्य प्रदेश	37,555	3,910	210536	47,025
22	महाराष्ट्र	75,998	-	5095	1,95,340
23	मणिपुर	1,489	-	2254	172
24	मेघालय	541	-	286	118
25	मिजोरम	1,119	-	756	763
26	नागालैंड	4,225	-	408	26
27	ओडिशा	5,954	-	43507	3,265
28	पुडुचेरी	535	-	1614	478
29	पंजाब	5,847	-	2833	12,222
30	राजस्थान	36,593	-	18	38,136
31	सिक्किम	254	-	20	21
32	तमिलनाडु	39,815	254	156455	35,340
33	तेलंगाना	26,734	-	0	27,136
34	त्रिपुरा	835	-	37343	602
35	उत्तर प्रदेश	32,874	-	297977	52,728
36	उत्तराखंड	3,362	224	1616	6,443
37	पश्चिम बंगाल	28,990	-	106990	20,920
कुल :-		**5,27,321**	**22,864**	**12,51,401**	**8,10,067**

^पीएमएवाई (यू) की ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत वितरण के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को हाल में संस्वीकृत अतिरिक्त **29,350** लाभार्थियों सहित

12.12.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4127 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा जहाॅं कब्जा देने की प्रक्रिया चल रही है

क्रम सं.	राज्य का नाम	आवासों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
2	आंध्र प्रदेश	1,53,727
3	अरुणाचल प्रदेश	-
4	असम	-
5	बिहार	-
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ़	-
8	दादरा और नगर हवेली	-
9	दमन और दीव	39
10	दिल्ली (एनसीआर)	22,271
11	गोवा	-
12	गुजरात	36,914
13	हरियाणा	-
14	हिमाचल प्रदेश	50
15	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	-
16	झारखंड	46
17	कर्नाटक	2,889
18	केरल	-
19	लद्दाख	-
20	लक्षद्वीप	-
21	मध्य प्रदेश	-
22	महाराष्ट्र	-
23	मणिपुर	-
24	मेघालय	123
25	मिजोरम	-
26	नागालैंड	-
27	ओडिशा	2,130
28	पुडुचेरी	-
29	पंजाब	-
30	राजस्थान	928
31	सिक्किम	-
32	तमिलनाडु	26,317
33	तेलंगाना	42,828
34	त्रिपुरा	-
35	उत्तर प्रदेश	-
36	उत्तराखंड	-
37	पश्चिम बंगाल	-
कुल :-		**2,88,262**